इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 531]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018—आश्विन 7, शक 1940

### खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. एफ 19-10-2018-बारह-1.—खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विकासखण्ड पथपुरा-किशनगढ़, जिला पन्ना, (टोपोशीट क्रमांक 54पी/10, 54पी/11, 54पी/14 एवं 54पी/15, पथपुरा संरक्षित वन) के 72.38 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में, मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में हीरा खनिज के पूर्वेक्षण कार्य हेतु अधिसूचित करती है. क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्ते नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

#### सारणी

क्रमांक	बिन्दु	अक्षांश	देशांश
1	ए	79° 42'31.42″	24°29'49.53"
2	बी	79° 47'04.17"	24°31'11.69"
3	सी	79° 47'10.51″	24°31'26.23"
4	डी	79° 50'27.56"	24°30'56.32"
5	ई	79° 50'21.74"	24°30'33.36"
6	एफ	79° 48'11.51"	24°30'10.72"
7	जी	79° 48'02.29″	24°29'34.59"
8	एच	79° 49'45.91″	24°28'35.47"
9	आई	79° 50'42.68"	24°28'31.73"
10	जे	79° 50'42.87"	24°27'29.68"
11	के	79° 42'31.13"	24°27'28.58″

- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, संचालक, भौमिकी तथा खिनकर्म, म.प्र. को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए सूचना देगा.
- 2. पूर्वेक्षण कार्य की कालाविध 2 वर्ष के लिए होगी, यह आगामी 03 वर्ष के लिए और विस्तारित की जा सकेगी, परन्तु कुल कालाविध 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
- 3. एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खान (खनिज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा तथा विहित समायाविध के भीतर विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- 4. पूर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात् अधिसूचित क्षेत्र में, यदि आवेदित खनिज या नवीन खनिजों की विद्यमानता प्रमाणित होती है, तो मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के अनुबंध दिनांक 27-10-2016 के अधीन वर्णित शर्तों का पालन करेगा.
- 5. यदि पूर्वेक्षण संक्रियाएं अधिसूचना में कथित कालाविध के अवसान के पूर्व पूर्ण हो जाता है तो राज्य सरकार द्वारा उप नियम (1) के अधीन जारी की गई इस अधिसूचना को समपृहत किया जाएगा.
- 6. यह अधिसूचना उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, जहां उपरोक्त क्षेत्र के किसी भाग में, कोई खिन रियायत स्वीकृत है.
- 7. उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र का नक्शा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) में उपलब्ध है.

No. F 19-10-2018-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 67 of the Minerals (other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rule, 2016, the State Government, hereby, notifies the area of 72.38 sq. km. of Pathpura-Kishangarh Block, Distt. Panna (Toposheet No. 54P/10, 54P/11, 54P/14 & 54P/15, Pathpura Protected Forest) in favour of M/s N.M.D.C. Limited for prospecting work of diamond. Details of area and conditions are given below:—

**TABLE** 

S.No.	Points	Longitude	Latitude
1		79° 42'31.42"	24°29'49.53"
2	В	79° 47'04.17"	24°31'11.69"
3	C	79° 47'10.51"	24°31'26.23"
4	D	79° 50'27.56"	24°30'56.32"
5	E	79° 50'21.74"	24°30'33.36"
6	F	79° 48'11.51"	24°30'10.72"
7	G	79° 48'02.29″	. 24°29'34.59"
8	——————————————————————————————————————	79" 49'45.91"	24°28'35.47"
9	1	79" 50'42.68"	24°28'31.73"
10	J	79° 50'42.87"	24°27'29.68"
11	K	79° 42'31.13"	24°27'28.58"

- 1. NMDC Ltd. shall intimate to Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh about commencement of prospecting work in the notified area.
- 2. The period of prospecting work shall be for 2 years. This may be further extended for 3 years but the total period shall not be exceed 5 years.
- 3. NMDC Ltd. shall undertake prospecting operations in accordance with the provision of Minerals (Evidence of Minerals Contents) Rule, 2015 and shall submit detailed prospecting report within prescribed time period.
- 4. In notified area after the prospecting work, if the existence of mineral applied for new minerals is Proved, then the M/s NMDC Limited shall comply with the conditions mentioned under tripartite Memo of Understanding Agreement dated 27-10-2016.
- 5. The State Government shall revoke this notification issued under sub Rule (1) if the prospecting operations are completed before the expiry of the period stated in the notification.
- 6. This notification shall not be applicable in those areas where any mineral concession is if granted in any part of the above area.
- 7. The maps of above notified area shall be available in the Directorate of Geology & Mining, Madhya Pradesh and concerned District Collecor Office (Mining Section).

क्र. एफ 19-16-2018-बारह-1.—खिनज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खिनजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विकासखण्ड जगरा, जिला छतरपुर, (टोपोशीट क्रमांक 54पी/07, संरक्षित वन) के 03.61 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में, मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में हीरा खिनज के पूर्वेक्षण कार्य हेतु अधिसूचित करती है. क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्तें नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

#### सारणी

क्रमांक	बिन्द	अक्षांश	देशांश
1	 ए	79°18'44.91"	24°21'03.49"
	बी	79°19'36.00"	24°21'02.98"
3	सी	79°19'38.02"	24°19'42.02"
<u> </u>	<del></del> डी	79°18'45.74"	24°19'43.33"

- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, संचालक, भौमिकी तथा खिनकर्म, म.प्र. को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए सूचना देगा.
- पूर्वेक्षण कार्य की कालाविध 2 वर्ष के लिए होगी, यह आगामी 03 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी, परन्तु कुल कालाविध 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खान (खिनज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा तथा विहित समायाविध के भीतर विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- 4. पूर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात् अधिसूचित क्षेत्र में, यदि आवेदित खनिज या नवीन खनिजों की विद्यमानता होने का पता चलता है, तो मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के अनुबंध दिनांक 27-10-2016 के अधीन विर्णित शर्तों का पालन करेगा.

- 5. यदि पूर्वेक्षण संक्रियाएं अधिसूचना में कथित कालाविध के अवसान के पूर्व पूर्ण हो जाती है तो राज्य सरकार इस अधिसूचना को समपृहत किया जाएगा.
- 6. उपरोक्त क्षेत्र में यदि कोई खिन रियायत स्वीकृत होती है तो यह अधिसूचना लागू नहीं होगी.
- 7. उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र का नक्शे संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल के कार्यालय तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) में उपलब्ध है.

No. F 19-16-2018-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 67 of the Minerals (other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rule, 2016, the State Government, hereby, notifies the area of 03.6 sq. km. of Jagara Block, Distt. Chhatarpur (Toposheet No. 54P/07, Projected Forest) in favour of M/s N.M.D.C. Limited for prospecting work of diamond. Details of area and conditions are given below:—

TA	RI	$\mathbf{E}$

S.No.	Points	Longitude	Latitude
1	A.	79°18'44.91"	24°21'03.49"
2	В	79° 9'36.00"	24°21'02.98"
3	С	79°19'38.02"	24°19'42.02"
4	D	79°18'45.74"	24°19'43.33"

- 1. NMDC Ltd. shall intimate to Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh about commencement of prospecting work in the notified area.
- 2. The period of prospecting work shall be for 2 years. This may be further extended for 3 years but the total period shall be exceed 5 years.
- 3. NMDC Ltd. shall undertake prospecting operations in accordance with the provision of Minerals (Evidence of Minerals Contents) Rule, 2015 and shall submit detailed prospecting report within prescribed time period.
- 4. In notified area after the prospecting work, if the existence of mineral applied for new minerals is discovered, then the M/s NMDC Limited shall comply with the conditions mentioned under tripartite Memo of Understanding Agreement dated 27-10-2016.
- 5. The State Government shall revoke this notification if the prospecting operations are completed before the expiry of the period stated in the notification.
- 6. This notification shall not be applicable in those areas where any mineral concession is if granted in the above area.
- 7. The maps of above notified area shall be available in the Directorate of Geology & Mining, Madhya Pradesh and concerned District Collecor Office (Mining Section).

क्र. एफ 19-8-2018-बारह-1.—खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विकासखण्ड अमानगंज, जिला पन्ना, (टोपोशीट क्रमांक 54पी/15) के 15.20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में, मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में हीरा खनिज के पूर्वेक्षण कार्य हेतु अधिसूचित करती है. क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्तें नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

#### सारणी

क्रमांक	बिन्दु	अक्षांश	देशांश
1	ए	79°53'06.16"	24°27'19.44"
2	बी	79°56'27.33"	24°29'24.57"
3	सी	79°57'12.27"	24°28'24.45"
4	डी	79°53'52.13"	24°26'21.29"

- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए सूचना देगा.
- पूर्वेक्षण कार्य की कालाविध 2 वर्ष के लिए होगी, यह आगामी 03 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में कुल कालाविध 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खान (खिनज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा तथा विहित समायाविध के भीतर विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- 4. पूर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात् अधिसूचित क्षेत्र में, यदि आवेदित खिनज या नवीन खिनजों की विद्यमानता प्रमाणित होती है, तो मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. अनुबंध दिनांक 27-10-2016 के अधीन वर्णित शर्तों का पालन करेगा.
- यदि पूर्वेक्षण कार्य अधिसूचना में विर्णित कालाविध के अवसान होने के पूर्व पूर्ण हो जाते हैं तो राज्य सरकार इस अधिसूचना को विखिण्डित कर देगी.
- 6. यह अधिसूचना उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, जहां उपरोक्त क्षेत्र के किसी भाग में, कोई खिन रियायत स्वीकृत है.
- उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र का नक्शा संचालनालय, भौमिकी तथा खिनकर्म तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय (खिनज शाखा) में उपलब्ध है.

No. F 19-8-2018-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 67 of the Minerals (other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rule, 2016, the State Government, hereby, notifies the area of 15.20 sq. km. of Amanganj Block, Distt. Panna (Toposheet No. 54P/15, Protected Forest) in favour of M/s N.M.D.C. Limited for prospecting work of diamond. Details of area and conditions are given below:—

**TABLE** 

S.No.	Points	Longitude	Latitude
1	А	79°53'06.16"	24°27'19.44"
2	В	79°56'27.33"	24°29'24.57"
3	С	79°57'12.27"	24°28'24.45"
4	D	79°53'52.13"	24°26'21.29"

- 1. NMDC Ltd. shall intimate to Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh for commencement of prospecting work in the notified area.
- 2. The period of prospecting work shall be for 2 years. This may be further extended for 3 years but in no case the total period shall be exceed 5 years.
- 3. NMDC Ltd. shall undertake prospecting operations in accordance with the provisions of Minerals (Evidence of Minerals Contents) Rule, 2015 and shall submit detailed prospecting report within prescribed time period.
- 4. In notified area after the prospecting work, if the existence of mineral applied for new minerals is discovered, then the M/s NMDC Limited shall comply with the conditions mentioned under tripartite Memo of Understanding Agreement dated 27-10-2016.
- 5. The State Government shall revoke this notification if the prospecting operations are completed before the expiry of the period stated in the notification.
- 6. This notification shall not be applicable in those areas where any mineral concession is granted in any part of the above area.
- 7. The maps of above notified area are available in the Directorate of Geology & Mining and concerned District Collector office (Mining Section).

क्र. एफ 19-13-2018-बारह-1.—खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विकासखण्ड आमझिरिया, जिला पन्ना (टोपोशीट क्रमांक 63डी/02) के 02.52 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में हीरा खनिज के पूर्वेक्षण कार्य हेतु अधिसूचित करती है. क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्तें नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

सारणी

क्रमांक	बिन्द	अक्षांश	देशांश
1	Ţ	80°8'24.97"	24°39'15.58"
2	<del>.</del> बी	80°9'30.32"	24°39'15.88"
3	 सी	80°9'30.48"	24°38'31.33"
4	<u></u> डी	80°8'25.36"	24°38'31.04"

- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, संचालक, भौमिकी तथा खिनकर्म, म.प्र. को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए सूचना देगा.
- पूर्वेक्षण कार्य की कालाविध 2 वर्ष के लिए होगी, यह आगामी 03 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी, परन्तु कुल कालाविध 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खान (खिनज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा तथा विहित समायाविध के भीतर विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- 4. पूर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात् अधिसूचित क्षेत्र में, यदि आवेदित खनिज या नवीन खनिजों की विद्यमानता होने का पता चलता है, तो मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के अनुबंध दिनांक 27-10-2016 के अधीन वर्णित शर्तों का पालन करेगा.

- यदि पूर्वेक्षण संक्रियाएं अधिसूचना में कथित कालाविध के अवसान के पूर्व पूर्ण हो जाती है तो राज्य सरकार इस अधिसूचना को समपृहत किया जाएगा.
- उपरोक्त क्षेत्र में यदि कोई खिन रियायत स्वीकृत होती है तो यह अधिसूचना लागू नहीं होगी.
- उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र के नक्शे संचालनालय, भौमिकी तथा खिनकर्म, म.प्र., भोपाल के कार्यालय तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय (खिनज शाखा) में उपलब्ध है.

No. F 19-13-2018-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 67 of the Minerals (other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rule, 2016, the State Government, hereby, notifies the area of 02.52 sq. km. of Amjhiriya Block, Distt. Panna (Toposheet No. 63D/02, Protected Forest) in favour of M/s N.M.D.C. Limited for prospecting work of diamond. Details of area and conditions are given below:—

-1	Α	В.	L	E

S.No.	Points	Longitude	Latitude
1	A	80°8'24.97"	24°39'15.58"
2	В	80°9'30.32"	24°39'15.88"
3	C	80°9'30.48"	24°38'31.33"
4	D	80°8'25.36"	24°38'31.04"

- 1. NMDC Ltd. shall intimate to Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh about commencement of prospecting work in the notified area.
- 2. The period of prospecting work shall be for 2 years. This may be further extended for 3 years but the total period shall not be exceed 5 years.
- 3. NMDC Ltd. shall undertake prospecting operations in accordance with the provisions of Minerals (Evidence of Minerals Contents) Rule, 2015 and shall submit detailed prospecting report within prescribed time period.
- 4. In notified area after the prospecting work, if the existence of mineral applied for new minerals is discovered, then the M/s NMDC Limited shall comply with the conditions mentioned under tripartite Memo of Understanding Agreement dated 27-10-2016.
- 5. The State Government shall revoke this notification if the prospecting operations are completed before the expiry of the period shall stated in the notification.
- 6. This notification shall not be applicable in those areas where any mineral concession is if granted in the above area.
- 7. The maps of above notified area shall be available in the Directorate of Geology & Mining, Madhya Pradesh and concerned District Collecor Office (Mining Section).

क्र. एफ 19-17-2018-बारह-1.—खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जंगूपुरा ब्लॉक, जिला दमोह, (टोपोशीट क्रमांक 54पी/

07, करकुही संरक्षित वन) के 18.67 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में हीरा खनिज के पूर्वेक्षण कार्य हेतु अधिसूचित करती है. क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्तें नीचें दिए गए अनुसार है :—

#### सारणी

क्रमांक	बिन्द	अक्षांश	देशांश
1	ए	79° 26'12.81"	24°18'44.44"
2	बी	79° 27'59.13"	24°20'00.38"
3	सी	79° 29'58.17"	24°18'02.04"
4	डी	79° 28'19.03"	24°16'46.07"

- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, संचालक, भौमिकी तथा खिनकर्म, म.प्र., भोपाल को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने की सूचना प्रदान करेगा.
- पूर्वेक्षण कार्य की अविध 2 वर्ष होगी, जिसे आवश्यकतानुसार 03 वर्ष हेतु विस्तारित किया जा सकेगा, परन्तु किसी भी दशा में कुल अविध 5 वर्ष से अधिक और नहीं होगी.
- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खान (खिनज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा तथा निर्धारित समयाविध में विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- 4. पूर्वेक्षण कार्य करने के उपरांत अधिसूचित क्षेत्र में आवेदित खनिज या नवीन खनिजों की उपलब्धता प्रमाणित होती है तो मेसर्स एन.एम.डी.सी., त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. अनुबंध दिनांक 27-10-2016 के अधीन वर्णित शर्तों का पालन करेगा.
- 5. अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समयाविध के पूर्व पूर्वेक्षण कार्य सम्पन्न करने की दशा में उप नियम (1) के अन्तर्गत जारी यह अधिसूचना राज्य शासन द्वारा समपृहत की जावेगी.
- 6. उपरोक्त क्षेत्र के किसी भाग पर यदि पूर्व से कोई खिन रियायत स्वीकृत हो तो, उस क्षेत्र पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी.
- 7. उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र का नक्शा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल में तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) में उपलब्ध है.

No. F 19-17-2018-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 67 of the Minerals (other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rule, 2016, the State Government, hereby, notifies the area of 18.67 sq. km. of Jangupura Block, Distt. Damoh (Toposheet No. 54p/07, Karkuhi Reserved forest) in favour of M/s N.M.D.C. Limited for prospecting work of diamond. Details of area and conditions are given below:—

**TABLE** 

S.No.	Points	Longitude	Latitude
5.NO. FORMS	Δ	79° 26'12.81"	24°18'44.44"
2	B	79° 27'59.13"	24°20'00.38"
2		79° 29'58.17"	24°18'02.04"
3		79° 28'19.03"	24°16'46.07"

- 1. NMDC Ltd. shall intimate to Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh for commencement of prospecting work in the notified area.
- 2. The period of prospecting work shall be for 2 years. This may be further extended for 3 years but the total period shall exceed 5 years.
- 3. NMDC Ltd. shall undertake prospecting operations in accordance with the provision of Minerals (Evidence of Minerals Contents) Rule, 2015 and shall submit detailed prospecting report within prescribed time period.
- 4. In notified area after the prospecting work, if the existence of mineral applied for new minerals is discovered, then the M/s NMDC Limited shall comply with the conditions mentioned under tripartite Memo of Understanding Agreement dated 27-10-2016.
- 5. The State Government shall revoke this notification if the prospecting operations are completed before the expiry of the period stated in the notification.
- 6. This notification shall not be applicable in those areas where any mineral concession is granted in any part of the above area.
- 7. The maps of above notified area are available in the Directorate of Geology & Mining, Madhya Pradesh and concerned District Collecor Office (Mining Section).

क्र. एफ 19-9-2018-बारह-1.—खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा विकासखण्ड खिरियाबुर्जग, जिला छतरपुर, (टोपोशीट क्रमांक 54पी/04, खुला मिश्रित वन) के 32.65 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में, मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में हीरा खनिज के पूर्वेक्षण कार्य हेतु अधिसूचित करती है. क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्तें नीचें दिए गए अनुसार है:—

#### सारणी

क्रमांक	बिन्द	अक्षांश	देशांश
1	ए	79°08'10.68"	24°09'44.62"
2	बी	79°11'08.67"	24°09'52.34"
3	सी	79°11'41.40"	24°06'46.29"
4	डी	79°08'04.97"	24°06'31.86"

- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, संचालक, भौमिकी तथा खिनकर्म, म.प्र. को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए सचना देगा.
- पूर्वेक्षण कार्य की कालाविध 2 वर्ष के लिए होगी, यह आगामी 03 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में कुल कालाविध 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खान (खिनज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा तथा विहित समायाविध के भीतर विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- 4. अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात्, नवीन खिनजों के लिए आवेदित खिनज की विद्यमानता प्रमाणित होती है, तो मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के अनुबंध दिनांक 27-10-2016 के अधीन विर्णित शर्तों का पालन करेगा.

- यदि पूर्वेक्षण कार्य अधिसूचना में वर्णित कालाविध के अवसान होने के पूर्व पूर्ण हो जाते है तो राज्य सरकार इस अधिसूचना को विखण्डित कर देगी.
- 6. यह अधिसूचना उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, यदि उपरोक्त क्षेत्र के किसी भाग में, जहां कोई खिन रियायत स्वीकृत है.
- 7. उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र का नक्शा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म कार्यालय तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) में उपलब्ध है.

No. F 19-9-2018-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 67 of the Minerals (other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rule, 2016, the State Government, hereby, notifies the area of 32.65 sq. km. of Khiryaburjag Block, Distt. Chhatarpur (Toposheet No. 54P/04, Open Mixed Forest) in favour of M/s N.M.D.C. Limited for prospecting work of diamond. Details of area and conditions are given below:—

$_{\rm BI}$	
BI	

S.No.	Points	Longitude	Latitude
1	Α	79°8'10.68"	24°09'44.62"
2	В	79°11'08.67"	24°09'52.34"
3	С	79°11'41.40"	24°06'46.29"
4	D	79°08'04.97"	24°06'31.86"

- 1. NMDC Ltd. shall intimate to Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh for commencement of prospecting work in the notified area.
- 2. The period of prospecting work shall be for 2 years. This may be further extended for 3 years but in no case, the total period shall not be exceed 5 years.
- 3. NMDC Ltd. shall undertake prospecting operations in accordance with the provisions of Minerals (Evidence of Minerals Contents) Rule, 2015 and shall submit detailed prospecting report within prescribed time period.
- 4. If in the notified area after the prospecting work, the existence of mineral applied for new minerals is discovered, then the M/s NMDC Limited shall comply with the conditions mentioned under tripartite Memo of Understanding Agreement dated 27-10-2016.
- 5. The State Government shall revoke this notification in the prospecting operations are completed before the expiry of the period stated in the notification.
- 6. This notification shall not be applicable in those areas where any mineral concession is granted in any part of the above area.
- 7. The maps of above notified area are available in the Directorate of Geology & Mining and concerned District Collecor Office (Mining Section).

क्र. एफ 19-19-2018-बारह-1.—खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा विकासखण्ड हरदुआ, जिला पन्ना, (टोपोशीट क्रमांक 63डी/1, डी/2, डी/5, डी/6, संरक्षित वन) के 121.10 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में, मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में हीरा खनिज के पूर्वेक्षण

कार्य हेतु अधिसूचित करती है. क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्तें नीचें दिए गए अनुसार है :—

#### सारणी

क्रमांक	बिन्दु	अक्षांश	देशांश
1	ए	80°10'11.5536"	24°47'30.4368"
2	बी	80°14'57.1956"	24°50'00.5712"
3	सी	80°15'56.5092"	24°47'28.0248"
4	डी	80°19'59.3652"	24°48'37.8792"
5	ई	80°20'32.4600"	24°45'41.9652"
6	एफ	80°19'15.9528"	24°45'10.7784"
7	जी	80°14'58.6248"	24°45'09.6264"
8	एच	80°15'00.1548"	24°42'29.6568"
9	आई	80°12'29.4984"	24°42'28.4760"
10	তী	80°12'29.8728"	24°44'59.7876"
11	. के	80°11'14.1360"	24°44'59.5932"

- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, संचालक, भौमिकी तथा खिनकर्म, म.प्र. को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए सूचना देगा.
- 2. पूर्वेक्षण कार्य की कालाविध 2 वर्ष के लिए होगी, यह आगामी 03 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में कुल कालाविध 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
- 3. एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खान (खनिज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा तथा विहित समायाविध के भीतर विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- 4. पूर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात् अधिसूचित क्षेत्र में, यदि आवेदित खनिज या नवीन खनिजों की विद्यमानता प्रमाणित होती है, तो मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के अनुबंध दिनांक 27-10-2016 के अधीन वर्णित शर्तों का पालन करेगा.
- 5. यदि पूर्वेक्षण कार्य अधिसूचना में वर्णित कालावधि के अवसान के पूर्व पूर्ण हो जाते हैं तो राज्य सरकार इस अधिसूचना को विखण्डित कर देगी.
- 6. यह अधिसूचना उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, जहां उपरोक्त क्षेत्र के किसी भाग में, कोई खिन रियायत स्वीकृत है.
- 7. उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र का नक्शा संचालनालय, भौमिको तथा खनिकर्म, तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) में उपलब्ध है.

No. F 19-19-2018-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 67 of the Minerals (other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rule, 2016, the State Government, hereby, notifies the area of 121.10 sq.km. of Hardua Block, Distt Panna (Toposheet No. 63D/1, D/2, D/5 & D/6, Protected

Forest) in favour of M/s N.M.D.C. Limited for prospecting work of diamond. Details of area and conditions are given below:—

**TABLE** 

S.No.	Points	Longitude	Latitude
1	А	80°10'11.5536"	24°47'30.4368"
2	В	80°14'57.1956"	24°50'00.5712"
3	С	80°15'56.5092"	24°47'28.0248"
1.4	D	80°19'59.3652"	24°48'37.8792"
5	E	80°20'32.4600"	24°45'41.9652"
6	F	80°19'15.9528"	24°45'10.7784"
7	G	80°14'58.6248"	24°45'09.6264"
8	Н	80°15'00.1548"	24°42'29.6568"
9	ı	80°12'29.4984"	24°42'28.4760"
10	J	80°12'29.8728"	24°44'59.7876"
11	K	80°11'14.1360"	24°44'59.5932"

- 1. NMDC Ltd. shall intimate to Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh for commencement of prospecting work in the notified area.
- 2. The period of prospecting work shall be for 2 years. This may be further extended for 3 years but the total period shall not be exceed 5 years.
- 3. NMDC Ltd. shall undertake prospecting operations in accordance with the provisions of Minerals (Evidence of Minerals Contents) Rule, 2015 and shall submit detailed prospecting report within prescribed time period.
- 4. In notified area after the prospecting work, if the existence of mineral applied for new minerals is discovered, then the M/s NMDC Limited shall comply with the conditions mentioned under tripartite Memo of Understanding Agreement dated 27-10-2016.
- 5. The State Government shall revoke this notification if the prospecting operations are completed before the expiry of the period stated in the notification.
- 6. This notification shall not be applicable in those areas where any mineral concession is if granted in any part of the above area.
- 7. The maps of above notified area are available in the Directorate of Geology & Mining, Madhya Pradesh and concerned District Collecor Office (Mining Section).

क्र. एफ 19-12-2018-बारह-1.—खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा रामपुरा ब्लॉक, जिला पन्ना, (टोपोशीट क्रमांक 63डी/ 06) के 64.90 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में हीरा खिनज के पूर्वेक्षण कार्य हेतु अधिसूचित करती है. क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्तें नीचें दिए गए अनुसार है :—

#### सारणी

क्रमांक	बिन्द	अक्षांश	देशांश
1	<del></del> ए	80°19'30.99"	24°45'00.00"
2	बी	80°25'00.00"	24°45'00.00"
3	सी	80°25'00.00"	24°41'12.11"
4	<u>্র</u>	80°19'30.99"	24°41'12.11"

- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, संचालक, भौमिकी तथा खिनकर्म, म.प्र. को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए सूचना देगा.
- 2. पूर्वेक्षण कार्य की कालाविध 2 वर्ष के लिए होगी, यह आगामी 03 वर्ष के लिए और विस्तारित की जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में कुल कालाविध 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
- एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खान (खनिज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा तथा विहित समायाविध के भीतर विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- 4. अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात्, यदि आवेदित खनिज या नवीन खनिज की विद्यमानता प्रमाणित होती है, तो मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के अनुबंध दिनांक 27-10-2016 के अधीन वर्णित शर्तों का पालन करेगा.
- 5. यदि पूर्वेक्षण कार्य अधिसूचना में वर्णित कालाविध के अवसान के पूर्व पूर्ण हो जाते है तो राज्य सरकार इस अधिसूचना को विखण्डित कर देगी.
- 6. यह अधिसूचना उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, जहां उपरोक्त क्षेत्र के किसी भाग में, कोई खिन रियायत स्वीकृत है.
- 7. उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र का नक्शा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) में उपलब्ध है.

No. F 19-12-2018-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 67 of the Minerals (other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rule, 2016, the State Government, hereby, notifies the area of 64.90 sq.km. of Rampura Block, Distt. Panna (Toposheet No. 63D/06) in favor of M/s N.M.D.C. Limited for prospecting work of diamond. Details of area and conditions are given below:—

**TABLE** 

S.No.	Points	Longitude	Latitude
1	A	80°19'30.99"	24°45'00.00"
2	В	80°25'00.00"	24°45'00.00"
3	С	80°25'00.00"	24°41'12.11"
4	D	80°19'30.99"	24°41'12.11"

- 1. NMDC Ltd. shall intimate to Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh for commencement of prospecting work in the notified area.
- 2. The period of prospecting work shall be for 2 years. This may be further extended for 3 years but further extended for 3 years out in no case, the total period shall be exceed 5 years.
- 3. NMDC Ltd. shall undertake prospecting operations in accordance with the provisions of Minerals (Evidence of Minerals Contents) Rule, 2015 and shall submit detailed prospecting report within prescribed time period.
- 4. In notified area after the prospecting work, if the existence of mineral applied for new minerals is discovered, then the M/s NMDC Limited shall comply with the conditions mentioned under tripartite Memo of Understanding Agreement dated 27-10-2016.
- 5. The State Government shall revoke this notification issued under sub Rule (1) if the prospecting operations are completed before the expiry of the period stated in the notification.
- 6. This notification shall not be applicable in those areas where any mineral concession is if granted in any part of the above area.
- 7. The maps of above notified area are available in the Directorate of Geology & Mining, Madhya Pradesh and concerned District Collecor Office (Mining Section).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र सिंह परमार, अपर सचिव.